न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 52/2019 अपील (GCMS/2019/00068)
पंजीयन दिनांक - 09.10.2019
निर्णय दिनांक - 27.01.2021

1. श्री अनिल कुमार पिता श्री प्रहलाद कुमार जिन्दल, पार्टनर जिन्दल एंड जिन्दल, कचहरी रोड़, अजमेर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. ठाकूर जी श्यामसुन्दर जी ताल्लुक देवस्थान विभाग, संयुक्त भण्डार खण्ड उदयपुर राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर।
2. तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री पन्नालाल मारू - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2

प्रकरण संख्या-81/2017, में श्री अनिल कुमार जिन्दल बनाम ठाकुर जी श्यामसुन्दर जी ताल्लुक देवस्थान विभाग व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-09/2011, में प्रकरण संख्या-81/2017, में श्री अनिल कुमार जिन्दल बनाम ठाकुर जी श्यामसुन्दर जी ताल्लुक देवस्थान विभाग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना तहसील गिर्वा में अपीलार्थी के स्वामित्व खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या-3065 रकबा 4.33000 है. स्थित है जो समस्त राजस्व

अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम बतौर खातेदारी अंकित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि गत सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या-684/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या-687/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 688/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 20 बीघा होकर श्री मीठालाल पिता मोडीलाल रांका निवासी आयड के स्वामित्व खातेदारी अंकित थी। श्री मीठालाल द्वारा उक्त आराजीयात श्री नाथूलाल पिता तखतमल साबला को विक्रय की जो नामान्तरकरण संख्या-579 दिनांक 11.04.1976 से अंकित है। श्री नाथूलाल के देहावसान होने के बाद विरासत से उनके पुत्र श्री गोविन्दसिंह के नाम अंकित हुई, श्री गोविंदसिंह पिता श्री नाथूलाल द्वारा उपरोक्त आराजीयात अपीलार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1983 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया जिससे अपीलार्थी उपरोक्त आराजीयात का स्वामी खातेदार काश्तकार है। गत सेटलमेंट वर्ष 1985 के दौरान आराजी संख्या-684/1, 687/1 एवं 688/4 किता 3 रकबा 20 बीघा का नवीन रकबा 4.3300 है. सही बनाया गया किन्तु नक्शा ट्रेस में नवीन आराजी नम्बर 3065 को गलत स्थान पर अंकित कर दिया जबकि जहां अपीलार्थी का कब्जा है एवं गत सेटलमेंट के नक्शें में जहां साबिक नम्बर अंकित है वहां वर्तमान में जो आराजी नम्बर 4079/3065 सम्पूर्ण रकबा 1.9100 है. एवं पूर्व दिशा में जो 3065 नम्बर बता रखा है उसका जूज हिस्सा 2.42000 है. अंकित होना चाहिये था किन्तु वर्तमान आराजी संख्या-3065 को गलत स्थान पर बताते हुए वर्तमान आराजी संख्या-4079/3065 को प्रत्यर्थी-1 के नाम अंकित करते हुए प्रत्यर्थी-1 की भूमि बता दिया गया। उक्त गलती गत सेटलमेंट के दौरान लिपिकीय भूल से सहवन से हुई जिसका सुधार किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का प्राथ्रना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नजरी नक्शें के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाकर आ.स. 4079/3065 अंकित है, वहां आ.स. 3065 एवं जहां आ.स. 3065 अंकित है उसकी पूर्वी भाग में सं 1.9100 है. भूमि कम करते हुए वहां 4079/3065 अंकित किये जाने का आदेश फरमावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2019 से निर्णय पारित किया कि ‘‘**प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम लिपिकीय त्रुटि के प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर नक्शें में दुरस्ती कराना चाहता है, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस सबुत प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि उक्त त्रुटि गत सेटलमेंट द्वारा एक लिपिकीय भूल हो न ही सत्यापन एवं पुष्टि हेतु गत के मुकाबले हाल नक्शें में सुपर इम्पोज प्रिंट प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो सके कि वास्तव में यह एक लिपिकीय भूल है। प्रार्थी केवल**

कब्जे के आधार पर इन्द्राज दुरस्ती करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का साबित करने में असफल रहा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 09.10.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 09.10.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 19.01.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना तहसील गिर्वा में अपीलार्थी के स्वामित्व खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या-3065 रकबा 4.33000 है. स्थित है जो समस्त राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम बतौर खातेदारी अंकित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि गत सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या-684/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या-687/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 688/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 20 बीघा होकर श्री मीठालाल पिता मोडीलाल रांका निवासी आयड के स्वामित्व खातेदारी अंकित थी। श्री मीठालाल द्वारा उक्त आराजीयात श्री नाथूलाल पिता तखतमल साबला को विक्रय की जो नामान्तरकरण संख्या-579 दिनांक 11.04.1976 से अंकित है। श्री नाथूलाल के देहावसान होने के बाद विरासत से उनके पुत्र श्री गोविन्दसिंह के नाम अंकित हुई, श्री गोविंदसिंह पिता श्री नाथूलाल द्वारा उपरोक्त आराजीयात अपीलार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1983 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया जिससे अपीलार्थी उपरोक्त आराजीयात का स्वामी खातेदार काश्तकार है। गत सेटलमेंट वर्ष 1985 के दौरान आराजी संख्या-684/1, 687/1 एवं 688/4 किता 3 रकबा 20 बीघा का नवीन रकबा 4.3300 है. सही बनाया गया किन्तु नक्शा ट्रेस में नवीन आराजी नम्बर 3065 को गलत स्थान पर अंकित रक दिया जबकि जहां अपीलार्थी का कब्जा है एवं गत सेटलमेंट के नक्शें में जहां साबिक नम्बर अंकित है वहां वर्तमान में जो आराजी नम्बर 4079/3065 सम्पूर्ण रकबा 1.9100 है. एवं पूर्व दिशा में जो 3065 नम्बर बता रखा है उसका जूज हिस्सा 2.42000 है. अंकित होना चाहिये था किन्तु वर्तमान आराजी संख्या-3065 को गलत स्थान पर बताते हुए वर्तमान आराजी संख्या-4079/3065 को प्रत्यर्थी-1 के नाम अंकित करते हुए प्रत्यर्थी-1 की भूमि बता दिया गया। उक्त गलती गत सेटलमेंट के दौरान लिपिकीय भूल से सहवन से हुई जिसका सुधार किया जाना नितान्त आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने न तो प्रकरण का समझने का प्रयास किया, न ही

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया और आलौच्य निर्णय पारित किया जो अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नक्शों बाबत निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी कब्जे के आधार पर प्रकरण में लिपिकीय भूल के मार्फत नक्शें में इन्द्राज दुरस्ती कराना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में कोई लिपिकीय भूल नहीं की गई जिससे प्रकरण धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के दायरे से बाहर है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 एवं हस्तगत अपील में प्रस्तुत कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे वह इनको साबित नहीं कर पाया है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पूर्ण तार्किक निर्णय पारित किया जिसे यथावत रखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्द्राज दुरस्ती की दाद चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को प्रावधानोनुसार जरिये नोटिस सूचित किया और सभी पक्षों की लिखित प्रतिक्रिया, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, पर विचार विश्लेषण कर निर्णय पारित किया कि **प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम लिपिकीय त्रुटि के प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर नक्शें में दुरस्ती कराना चाहता है, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस सबुत प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि उक्त त्रुटि गत सेटलमेंट द्वारा एक लिपिकीय भूल हो न ही सत्यापन एवं पुष्टि हेतु गत के मुकाबले हाल नक्शें में सुपर इम्पोज प्रिंट प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो सके कि वास्तव में यह एक लिपिकीय भूल है। प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर इन्द्राज दुरस्ती करना चाहता है।** प्रकरण में सभी पक्षों की बहस पर मनन एवं दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिक्षणोंपरांत हम अधीनस्थ न्यायालय की उक्त अवधारणा से संतुष्ठ है। भू प्रबंध के दौरान हुई गलतियों का सुधार निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकता है लेकिन धारा-136 के तहत मूल रूप रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का

परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा। धारा-136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे बल्कि रेकर्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही कर सकते है। समरी ट्रायल से गलतियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिये की गई है, जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां उन्हें सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित करना होगा। हस्तगत प्रकरण प्रावधानोनुसार लिपिक त्रुटि का नहीं है, अपीलार्थी कब्जे के आधार पर इन्द्राज दुरस्ती कराना चाहता है। अपीलार्थी केवल कब्जे के आधार पर नक्शें में दुरस्ती कराना चाहता है, अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीलय न्यायालय समक्ष ऐसा कोई ठोस सबुत प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि उक्त त्रुटि गत सेटलमेंट द्वारा एक लिपिकीय भूल हो, न ही सत्यापन एवं पुष्टि हेतु गत के मुकाबले हाल नक्शें में सुपर इम्पोज प्रिंट प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो सके कि वास्तव में यह एक लिपिकीय त्रुटी है।

इन्ही परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का खारिज पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर